

उनवान

1 बाबुलाल पिता भागु नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा

( प्रार्थीगण )

बनाम

1. नन्दा पिता भैरु नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
2. लक्ष्मण पिता श्रीराम नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
3. खुमचन्द पिता जगरूप नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
4. गंगाराम पिता बालकराम नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
5. भागु पिता श्रीराम नायक निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
6. नन्दा पिता दयाराम गाडरी निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
7. महादेव पिता जगनाथ जाट निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
8. गोपाल पिता जगनाथ जाट निवासी दोलतपुरा, तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
9. सहकारी भुमि विकास बैंक भीलवाडा शाखा माण्डल तहसील माण्डल जिला-भीलवाडा-
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 19.05.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 03.01.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दोलतपुरा पटवार मण्डल खेडलिया भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 26 के आ0न0 97, 104, 105, 108, 122, 129 कुल किता 06 कुल रकबा 09-04 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प खेडलिया में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को सूचनापत्र जारी किये गये। विपक्षीगण नियत केम्प पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दोलतपुरा पटवार मण्डल खेडलिया भू0अ0नि0 महुआखुर्द तहसील बनेडा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 26 के आ0न0 97, 104, 105, 108, 122, 129 कुल किता 06 कुल रकबा 09-04 बीघा भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 1000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को मिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम खेडलिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,

बनेडा, जिला भीलवाडा

दिनांक: 19.05.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/14/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो ।